(161)

प्रकरण क्रमांक / निग0- 4535 / 2018 / सतना / भू-राजस्व
(285)

न्यायालय श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय जिला सतना म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक ....

श्री विकास मिश्रा
पेश / 19-7-18

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित

काशी प्रसाद तनय अयोध्या प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम केमार तहसील अपरपाटन जिला सतना म0प्र0 ....अनावेदक / निगराकार

बनाम

आम जनता ग्राम केंमार व्दारा लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला तनय श्री रोहणी प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम केमार तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0.आवेदक / गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व प्रकरण कमांक 3अ13 / 16–17 आदेश दिनांक 2.7.18 को न्यायालय नायब तहसीलदार व1त मौहारी तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 व्दारा पारित आदेश

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करते है :–

प्रकरण के तथ्य

1– यह कि प्रकरण के तथ्य यह है कि आम जनता केमार का सहारा लेकर लक्ष्मण प्रसाद शुक्ला व्दारा धारा 131,132,133 म0प्र0 भू रा0सं0 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में दिया कि आराजी नं. 814 / 1 / 1 रकवा 0.09 डि0 में निगराकार नाजायज कब्जा करके रोड बन्द कर रहा है जवकि निगराकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त कथित आराजी में कोई रोड नही है और यह आराजी निगराकार ने जरिये विकय पत्र प्राप्त किया है

कमशः 2 पर

(161)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-4535/18 जिला सतना

काशी प्रसाद शुक्ला विरूद्ध आम जनता कुमार

1	2	3
16-1-19 –	1. आवेदक की ओर से श्री विकास मिश्रा अधिवक्ता के द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील अमरपाटन (मैहर) प्रकरण क्रमांक 3/अ-13/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02-07-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	